



प्रेस नोट  
थाना सासनी जनपद हाथरस

दिनांक 13.09.2020

**थाना सासनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को सटटे की खाईबाडी करते हुए मय 750 रुपये नकद व पर्चा सट्टा के गिरफ्तार किया गया**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक हाथरस के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर हाथरस के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2020 को अश्वनी कौशिक प्रभारी निरीक्षक सासनी जनपद हाथरस के नेतृत्व में उ0नि0 शान्तीशरण यादव मय हमराह फोर्स के अभियुक्त धर्मपाल उर्फ कलुआ पुत्र नेकराम निवासी उतरा थाना सासनी जनपद हाथरस को सट्टे की खाईबाडी करते हुए मय 750 रुपये नगद, पर्चा सट्टा, दफ्ती, डॉट पैन, अधजली मोमवत्ती के गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 12.09.2020 को अश्वनी कौशिक प्रभारी निरीक्षक सासनी हाथरस के नेतृत्व में उ0नि0 शान्तीशरण यादव मय हमराह फोर्स के देखरेख शान्ति व्यवस्था व रोड गस्त व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे मामूर थे कि द्वारा मुखबिर खास सूचना मिली की उतरा चौराहे मन्दिर के पास एक व्यक्ति सटटे की खाईबाडी कर रहा है यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मैं प्र0नि0 सासनी अश्वनी कौशिक, उ0नि0 शान्तीशरण यादव मय हमराह फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे तो उतरा चौराहे मन्दिर के पास से एक व्यक्ति धर्मपाल उर्फ कलुआ पुत्र नेकराम निवासी उतरा थाना सासनी जनपद हाथरस को पकड कर नाम पता पूछते हुए जामातलासी ली गयी तो अभियुक्त से 750 रुपये नगद, पर्चा सट्टा, दफ्ती, डॉट पैन, अधजली मोमवत्ती वरामद हुए जिसके विरुद्ध थाना सासनी पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिनको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 20.25 बजे दि0 12. 09.20 को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

धर्मपाल उर्फ कलुआ पुत्र नेकराम निवासी उतरा थाना सासनी जनपद हाथरस

**पंजीकृत अभियोग:-**

मु0अ0सं0 253/2020 धारा 13 जी एक्ट थाना सासनी जनपद हाथरस

**बरामदगी का विवरण:-**

750 रुपये नगद, पर्चा सट्टा, दफ्ती, डॉट पैन, अधजली मोमवत्ती

**गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-**

1. श्री अश्वनी कौशिक .... प्रभारी निरीक्षक थाना सासनी
2. श्री शान्तीशरण यादव --- प्रभारी चौकी गौहाना
3. का0 288 अधिकारी – थाना सासनी
4. का0 279 अनुज कुमार – थाना सासनी